राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकःपं025(1) चि.स्वा./2/2017 जयपुर, दिनांकः 06.12.2017

आदेश

राजकीय चिकित्सालयों में पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक को प्रति पोस्टमार्टम **रू. 400/–(रू. चार सौ मात्र)** तथा पोस्टमार्टम में सहयोग करने वाले सहायक कर्मचारी को **रू. 100/–(रू. एक सौ मात्र)** पोस्टमार्टम भत्ता दिये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि पोस्टर्माटम बोर्ड द्वारा किया जाता है तो उक्त भत्ते की राशि रू. 400/– बोर्ड के अध्यक्ष को ही देय होगी तथा रू. 100/– संबंधित सहायक कर्मचारी को देय होगी। इस पर होने वाला व्यय संबंधित चिकित्सक/कार्मिक के संवेतन मद से वहन किया जायेगा।

यह स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग विभाग की आई.डी. संख्या 101706138 दिनांक 02.12.2017 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होगे।

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया राज0 सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक,मा0मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. विशिष्ठ सहायक,मा0 राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग।
8. शासन संयुक्त सचिव, वित्त (नियम) विभाग।
9. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज0,जयपुर।
10. समस्त प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज,राज0।
11. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज0,जयपुर।
12. प्रभारी सर्वर रूप, मुख्यालय को प्रषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर सभी को ई–मेल द्वारा भिजवाये।
13. एकल पत्रावली डी–287 दिनांक 14.11.17
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव